मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 28, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(ख) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2017-2018 के खण्ड I एवं II , एवं

(ग) विनियोग लेखे वर्ष 2017-2018,

(घ) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016, तथा

(ङ) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 130 (क) की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016,

पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ.गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-2019,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-2018,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-2018, एवं

(घ) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2016-2017,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ख) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 18/01/2016 से 31/03/2017), तथा

(ग) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 18/01/2016 से 31/03/2017),

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, पर्यटन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, एवं

(ख) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2018-2019,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले की गढ़ाकोटा पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाओं पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, नागदा स्थित ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों का वर्गीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री मनोज चावला, सदस्य, प्रदेश में सहारा इंडिया सहित अनेक चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री रामलाल मालवीय, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती झूमा सोलंकी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम रैगांव में बसहा मैदान पर स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य, भोपाल शहर के खजूरी कलां मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने एवं सड़क का निर्माण कराये जाने,

(3) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम भमोड़ी के शंकर घाट मार्ग पर पुलिया एवं सड़क का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री गिर्राज डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के अम्बाह अंतर्गत चंबल नदी ऐसाह के पास लिफ्ट ऐरीगेशन (सिंचाई) योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(5) श्री राजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम करहरी में हाई स्कूल संचालित कराये जाने,

(6) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के सियरमऊ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,

(7) श्री कुणाल चौधरी, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम सालिया एवं लालपुरा में नवीन डेम की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(8) श्री मनोज चावला, सदस्य, रतलाम जिले के आलोट अंतर्गत गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने,

(9) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम पुछी-मोहनपुरा मार्ग को गिदखिनी-पिपरा मार्ग से जोड़े जाने,

(10) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम कुआं में 33 के.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने,

(11) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम रैपुरा में महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने,

(12) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिला स्थित पर्यटन स्थल ऋषि मार्कण्डेय आश्रम को वृह्द पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने,

(13) श्री गोवर्धन दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ब्यावरा अंतर्गत मॉडल स्कूल की बाउण्ड्रीवॉल एवं मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(14) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम सोमती में नारायण के घर से शीला के घर तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(15) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत बडकुही मार्ग से घोघरी मार्ग तक रोड निर्माण कराये जाने,

(16) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, दमोह जिले के विजय सागर डेरों मार्ग पर रपटा/पुल कम स्टॉप डेम का निर्माण कराये जाने,

(17) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम उमरिया (चिनकी) में बायपास सड़क का निर्माण कराये जाने,

(18) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के वार्ड नं. 11 फतेहपुर टोंगरा रोड पर श्री राम टॉकीज के पास नाली एवं सड़क का निर्माण कराये जाने,

(19) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, अशोकनगर जिले के ग्राम बरखेड़ा डांग, तिन्सी, सरदारपुर, रमपुरा के छात्रों की सुविधा हेतु आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये जाने,

(20) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के हटा नगर में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने,

(21) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम डुंगरिया में क्षिप्रा नदी पर उच्चस्तरीय डेम का निर्माण कराये जाने,

(22) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के ग्राम फुलगांवडी में हार्टिकल्चर हब निर्माण कराये जाने,

(23) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, सीधी जिले के संस्कृत महाविद्यालय को रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने,

(24) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, कटनी जिले के बगैहा मोड़ से नदावन होते हुये खितौली तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(25) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य, उज्जैन जिले के बड़नगर में शासकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(26) श्री महेश परमार, सदस्य, उज्जैन जिले के तराना अंतर्गत सिंचाई एवं पेयजल समस्या तथा नाले वाले क्षेत्रों में स्टॉप डेम बनाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(27) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम ग्वारी से सर्रा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(28) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा अंतर्गत शासकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने,

(29) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के वन परिक्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित किये जाने,

(30) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम मानोगढ़ से सफीलाल के घर के पास वाली झोड़ में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(31) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम सनखेड़ी स्थित तालाब का सीमांकन कर गहरीकरण कराये जाने,

(32) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के सारंगपुर अंतर्गत पचोर में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(33) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की सिरोंज नगर के छत्री नाका से बासोदा नाका होते हुये बस स्टेण्ड तक सड़क, नाली एवं डिवाईडर का निर्माण कराये जाने,

(34) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के कृषि कार्य में प्रयुक्त कीटनाशकों के मानव जीवन पर प्रभाव का मूल्यांकन कराये जाने,

(35) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के रामपुर बघेलान में फसलें नष्ट होने से किसानों को मुआवजा राशि दिलाये जाने,

(36) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के हरणगांव बस स्टेण्ड से हायर सेकेण्डरी स्कूल होते हुये आदिम जाति बालक छात्रावास तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(37) डॉ. योगेश पंडाग्रे, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम कुजवा से कोहपानी मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2003-2004 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2003-2004 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 37 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन विधेयक, 2019 (क्रमांक 36 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 39 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन
30 मि. अपराध) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 37 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री पी.सी. शर्मा, जनसम्पर्क मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल द्वारा लौटाये गए मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय
30 मि. पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पर पुनर्विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक,
30 मि. 2019 (क्रमांक 39 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन विधेयक, 2019 (क्रमांक 36 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. वर्ष 2019-2020 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58,
3 घण्टे 60, 64, 66 तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेईस हजार तीन सौ तीन करोड़, तिरतालीस लाख, बानवे हजार, आठ सौ बत्तीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2019 (क्रमांक 33 सन् 2019) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा .... (क्रमश:)

प्रदेश में यूरिया खाद के गंभीर संकट तथा प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2019

*** अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**